माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार के समाने

नितिन कुमार-याचिकाकर्ता
बनाम
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य-प्रतिवादी
2020 का सीडब्ल्यूपी नंबर 11005
24 सितंबर 2020

भारत का संविधान- अनुच्छेद 226, सीबीएसई परीक्षा उपनियम, 1995-उपविधि 69-प्रमाणपत्र में सुधार-याचिकाकर्ता ने जन्म प्रमाणपत्र आधार कार्ड आदि के अनुसार स्कूल रिकॉर्ड, मार्कशीट और प्रमाण पत्र में पिता के नाम में सुधार की मांग क।-सीबीएसई की अस्वीकृति, पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण-स्वीकार नहीं किया गया- सिविल कोर्ट से डिक्री की आवश्यकता नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि सीबीएसई द्वारा दिए जाने वाले स्कूली शिक्षा के प्रमाणपत्र छात्रों को आगे की पढ़ाई और करियर-निर्माण के लिए लॉन्चिंग पैड प्रदान करते हैं। इस तरह के प्रमाणीकरण का मूल उद्देश्य होने के कारण, सीबीएसई बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करते हुए ऐसे प्रमाणपत्रों में छात्र के नाम या छात्र के माता-पिता के नाम में साधारण गलतियों को सुधारने से इनकार नहीं कर सकता है। (पैरा 9)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे छात्र को इस तरह के सुधार के लिए उसके दावे को स्वीकार करने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने की लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया में ले जाना निरर्थक प्रयास होगा। (पैरा 10)

याचिकाकर्ता के वकील रजत मोर।

कन्नन मलिक, वकील, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के लिए।

न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार, (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ता सुखपाल का बेटा है। हालाँकि, स्कूल रिकॉर्ड में उनके पिता का नाम ग़लत तरीके से सुखपाल सिंह दर्ज किया गया था। परिणामस्वरूप, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (संक्षेप में 'सीबीएसई') ने याचिकाकर्ता की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की मार्कशीट और उसके माइग्रेशन प्रमाणपत्र सहित प्रमाण पत्र जारी किए, जिसमें उसके पिता का नाम सुखपाल सिंह दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने तीसरे

प्रतिवादी, अपने स्कूल के माध्यम से सीबीएसई में आवेदन किया, अपने पिता के नाम में सुधार करने और विधिवत संशोधित मार्कशीट और प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। हालाँकि, याचिकाकर्ता के स्कूल के प्रिंसिपल को संबोधित पत्र दिनांक 20.08.2019 (अनुलग्नक पी -11) द्वारा, पंचकुला, हरियाणा में सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय, दूसरे प्रतिवादी ने उक्त अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया कि स्कूल रिकॉर्ड वांछित सुधार का समर्थन नहीं किया। उक्त संचार पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की। उन्होंने सीबीएसई को अपने रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करने और उनकी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं की सही मार्कशीट और प्रमाणपत्र और उनका सही माइग्रेशन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक परिणामी निर्देश देने की भी मांग की।

(2) याचिकाकर्ता तीसरा प्रतिवादी, डगशाई, सोलन, हिमाचल प्रदेश में आर्मी पब्लिक स्कूल का छात्र था। उन्होंने 2017 में अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा और 2019 में अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा दी। जब उन्हें डगशाई के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिया गया, तो जो स्थानांतरण प्रमाणपत्र पेश किया गया, उसमें याचिकाकर्ता के पिता का नाम सुखपाल के बजाय गलत तरीके से सुखपाल सिंह दर्शाया गया था। इसके बाद यह गलती स्कूल के रिकॉर्ड और सीबीएसई के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। याचिकाकर्ता का दावा है कि 12वीं कक्षा की मार्कशीट जारी होने तक इस गलती पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद, स्कूल ने 27.06.2019 को सीबीएसई के पंचकुला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को पत्र लिखकर याचिकाकर्ता के पिता के नाम में सुधार की मांग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने अपने पिता का नाम सुखपाल सिंह नहीं बल्कि सुखपाल होने का सबूत रिकॉर्ड में रखा और दावा किया कि उसके स्कूल रिकॉर्ड में यह विसंगति न केवल उसकी आगे की पढ़ाई और पासपोर्ट हासिल करने में बल्कि उसके भविष्य के रोजगार के संबंध में भी असंख्य कठिनाइयां पैदा करेगी।

(3) सीबीएसई परीक्षा उपनियम, 1995 का उपनियम 69, प्रमाणपत्रों के सुधार से संबंधित है। इसमें इस आशय का उल्लेख है कि उम्मीदवार के नाम/उपनाम, पिता का नाम, माता का नाम या अभिभावक के नाम में वर्तनी की त्रुटियों और तथ्यात्मक मुद्रण संबंधी त्रुटियों की सीमा तक नाम में सुधार प्रमाण पत्र में किया जा सकता है ताकि इसे प्रमाण पत्र के अनुरूप बनाया जा सके। स्कूल रिकॉर्ड या स्कूल द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवारों की सूची में दिया गया है।

(4) सीबीएसई ने पंचकुला स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध करते हुए एक लिखित बयान दायर किया। उपरोक्त उपनियम 69 का हवाला देते हुए, इसमें बताया गया कि किसी नाम में सुधार केवल एक प्रमाण पत्र में किया जा सकता है ताकि इसे स्कूल रिकॉर्ड में उल्लिखित या स्कूल द्वारा प्रस्तुत

उम्मीदवारों की सूची के अनुरूप बनाया जा सके। सीबीएसई ने तब बताया कि तीसरे प्रतिवादी स्कूल के रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता के पिता का नाम सुखपाल सिंह बताया गया है। इसके अलावा, उक्त स्कूल द्वारा सीबीएसई को सौंपी गई उम्मीदवारों की सूची में भी उसी नाम का उल्लेख था। इसी आधार पर याचिकाकर्ता के पिता के नाम में सुधार के अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था।

(5) गौरतलब है कि सीबीएसई का यह दावा नहीं है कि याचिकाकर्ता की अपने पिता के नाम में सुधार की याचिका वास्तविक नहीं है या यह पर्याप्त रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यह केवल अपने स्वयं के उप-कानून के बल पर है कि सीबीएसई कहता है कि याचिकाकर्ता अपने पिता का नाम बदलने की मांग नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता का यह स्वीकार किया गया मामला है कि उसके माता-पिता ने उसे डगशाई के आर्मी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाते समय गलती की थी क्योंकि उस समय उनके द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रमाणपत्र में उसके पिता का नाम गलत तरीके से सुखपाल सिंह दर्शाया गया था। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसके पिता का नाम वास्तव में सुखपाल है, न कि सुखपाल सिंह। उप-रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, सिटी जोन, उत्तरी दिल्ली द्वारा जारी याचिकाकर्ता का जन्म प्रमाण पत्र दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के पिता का नाम उसमें सुखपाल दर्ज था। याचिकाकर्ता के आधार कार्ड पर भी उसके पिता का नाम सही दर्शाया गया है। उनके सही नाम के प्रमाण में उनके पिता का मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और सेवा रिकॉर्ड भी प्रस्तुत किया गया है।

(6) यह तथ्यात्मक स्थिति होने के कारण, अपने स्वयं के उप-कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर देने के सीबीएसई के पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सीबीएसई का मामला यह नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई गलत विवरण पेश करने की मांग की गई है या उसके पिता के नाम में सुधार की मांग करके कोई धोखाधड़ी की जा रही है। सीबीएसई इस संबंध में याचिकाकर्ता के दावे की वैधता पर विवाद नहीं करता है। केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के माता-पिता ने उसे तीसरे प्रतिवादी स्कूल में दाखिला दिलाते समय गलती की थी, सीबीएसई अब दावा करता है कि याचिकाकर्ता को स्कूल रिकॉर्ड के विपरीत किसी भी सुधार की मांग करने से रोक दिया गया है और अपने रिकॉर्ड को सही करने में उसकी स्वयं की असमर्थता है और याचिकाकर्ता की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के संबंध में उचित प्रमाणीकरण जारी करें।

(7) इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह पहला उदाहरण नहीं है कि सीबीएसई द्वारा ऐसे स्कूल प्रमाणपत्रों में सुधार करने से इनकार इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। सी डब्लू पी -23097-2017, सी डब्लू पी -27040-2017, सी डब्लू पी -

26481-2017, सी डब्लू पी -1709-2017 और सी डब्लू पी -23270-2017 में पारित आदेशों के अवलोकन से पता चलता है कि ये सभी मामले थे जहां छात्रों ने सुधार से इनकार करने पर हमला किया था। उनके प्रमाणपत्र लेकिन सीबीएसई इतनी दयालु थी कि उसने इस न्यायालय के समक्ष छात्र के पिता या माता के नाम या उपनाम में सुधार की राहत स्वीकार कर ली।

(8) सीबीएसई के विद्वान वकील श्री कन्नन मलिक का तर्क है कि वे मामले अलग-अलग हैं क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड ने मौजूदा मामले के विपरीत, ऐसे सुधारों का समर्थन किया है। हालाँकि, इस न्यायालय को ऐसा नहीं लगता। उदाहरण के लिए, सी डब्लू पी - 23270-2017, जिसका शीर्षक शिखा खनेजा बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य है, में याचिकाकर्ता ने अपनी मां का नाम सरिता खनेजा के स्थान पर विपिन कुमारी खनेजा करने की मांग की थी। अभिनिर्धारित किया गया कि मां ने अपनी बेटी के एडमिशन के वक्त स्कूल एडमिशन फॉर्म में गलत नाम दर्ज करा दिया था। इसके बावजूद, सीबीएसई ने सही नाम के प्रमाण में प्रस्तुत दस्तावेज को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसे सुधार करने में कोई आपत्ति नहीं है। सीडब्ल्यूपी-26481-2017 में भी यही स्थिति थी, जिसका शीर्षक एकमवीर सिंह चावला बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य था।

(9) इसलिए सीबीएसई के लिए केवल वर्तमान मामले में एक अलग रुख अपनाने का अधिकार नहीं है, इस आधार पर कि स्कूल रिकॉर्ड भी गलत नाम दर्शाता है। इसके अलावा, जब याचिकाकर्ता का अनुरोध अपने आप में वास्तविक और प्रामाणिक है और सीबीएसई द्वारा उसे अस्वीकार करने से न केवल उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि बिना किसी गलती के उसे दंडित भी किया जाता है, तो यह न्यायालय चुप नहीं रह सकता। सीबीएसई द्वारा दिए जाने वाले स्कूली शिक्षा के प्रमाणपत्र छात्रों को आगे की पढ़ाई और करियर-निर्माण के लिए लॉन्चिंग पैड प्रदान करते हैं। इस तरह के प्रमाणीकरण का मूल उद्देश्य होने के कारण, सीबीएसई बड़ी तस्वीर को नजरअंदाज करते हुए ऐसे प्रमाणपत्रों में छात्र के नाम या छात्र के माता-पिता के नाम में साधारण गलतियों को सुधारने से इनकार नहीं कर सकता है।

(10) इसके अलावा, ऐसे छात्र को इस तरह के सुधार के लिए उसके दावे को स्वीकार करते हुए, सक्षम सिविल न्यायालय से डिक्री हासिल करने की लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया में ले जाना निरर्थक प्रयास होगा।

(11) उपरोक्त विश्लेषण पर, याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने में सीबीएसई के छिपे रवैये को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, हालांकि यह उसके दावे की वास्तविकता से इनकार नहीं करता है।

(12) तदनुसार 20.08.2019 के विवादित इनकार पत्र को रद्द करते हुए रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। परिणामस्वरूप, सीबीएसई को निर्देश दिया जाएगा कि वह अपने रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता के पिता का नाम 'सुखपाल' सही करे और याचिकाकर्ता को उसके पिता का सही नाम शामिल करते हुए नए प्रमाणपत्र, मार्कशीट और माइग्रेशन प्रमाणपत्र जारी करे। यह याचिकाकर्ता की वर्तमान मूल मार्कशीट और प्रमाण पत्र की वापसी के 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा, सीबीएसई नई मार्कशीट और प्रमाणपत्रों में दर्ज करेगा कि 'पिता के नाम के संबंध में सुधार सीडब्ल्यूपी-11005-2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया है।'

(13) इन परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

संतोष (उ.ई.ड.नंबर HR0672)

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

तोशाम (भिवानी), हरियाणा